ITBP

कारण बताओ नोटिस

दल सं0 090360301 कां(जीडी) विकाश कुमार, 18वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु. बल से स्थाई स्थानान्तरण पर दिनांक 20.07.2024 पर 5वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु. बल में आमद हुआ था। 5वीं वाहिनी में आमद उपरान्त कार्मिक को 'द' समवाय में पदस्थ किया गया। कार्मिक द्वारा अपनी माताजी के ईलाज करवाने हेतु अवकाश जाने का अनुरोध किया गया। तदोपरान्त कार्मिक को दिनांक 25.07.24 से 09.08.24 तक 14 दिन आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया। कार्मिक को अवकाश समाप्ति उपरान्त अपनी आमद दिनांक 09.08.2024 (अप्रा0) को आवागमन शिविर छावला में देनी थी, परन्तु कार्मिक द्वारा अपनी आमद आवागमन शिविर छावला में न देकर बिना किसी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के अनुपस्थित चल रहा है। आवागमन शिविर छावला के ई–मेल संदेश सं0 1106 दिनांक 10.08.24 के तहत कार्मिक के अनुपस्थित संबंधी सूचना से इस कार्यालय को अवगत कराया गया। 5वीं वाहिनी के ई–मेल संदेश सं0 20420 दिनांक 13.08.24 के तहत उप–महानिरीक्षक, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय को कार्मिक के वेतन एवं भत्ते बन्द करने हेतु अनुरोध किया गया।

2. 5वीं वाहिनी, भा0ति0सी0पु0 बल के कार्यालय ज्ञापन सं0 5630 दिनांक 14.08.24, ज्ञापन सं0 1759 दिनांक 29.08.24 तथा ज्ञापन सं0 7065 दिनांक 11.09.24 के माध्यम से कार्मिक को शीघ्र वाहिनी मुख्यालय में आमद देने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु कार्मिक ने इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये पत्रों का कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया।

3. कार्मिक के वाहिनी में आमद न देने पर 5वीं वाहिनी के पत्र सं0 795–97 दिनांक 13.09.24 के तहत पुलिस अधीक्षक, जिला–भोजपुर आरा (बिहार) व एस0एच0ओ0, पुलिस स्टेशन–मुफ्फसील आरा (बिहार) से कार्मिक को पकड़कर 5वीं वाहिनी, भा0ति0सी0पु0 बल (लेह) को सुपुर्द करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु संबंधित पुलिस विभाग द्वारा कार्मिक को पकड़ कर सुपुर्द नहीं किया गया और न ही कोई सूचना इस कार्यालय को दी गई।

4. कार्मिक के दिनांक 09.08.24 से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति व सूचना के अनुपस्थित होने के कारणों का पता लगाने हेतु भा0ति0सी0पु0 बल अधिनियम 1992 की धारा–74 (1) में निहित प्रावधानों के तहत 5वीं वाहिनी कार्यालय आदेश सं0 1943 दिनांक 25.09.24 के तहत न्यायिक जॉच समिति का गठन किया गया।

5. न्यायिक जॉच समिति की संस्तुति तथा प्रतिवेदन एवं भा0ति0सी0पु0 बल अधिनियम 1992 की धारा–74 (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत 5वीं वाहिनी के आदेश संख्या 8304 दिनांक 01.11.24 के अनुसार कार्मिक को दिनांक 10.08.2024 (पूर्वा0) से **"भगौडा"** घोषित किया गया है तथा भगौड़ा आदेश की एक प्रति कार्मिक के घर के पते पर भी पंजीकृत डाक से भेजी गई है।

6. पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्मिक ने अभी तक अपनी आमद 5वीं वाहिनी, भा.ति.सी. पुलिस बल, लेह (यू0टी0) में नहीं दी है। अतः इस नोटिस के माध्यम से कार्मिक को यह अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि **इस कारण बताओ नोटिस के समाचार पत्र में प्रकाशित होने के 30 दिनों के अंदर अपनी आमद 5वीं वाहिनी** भा.ति.सी.पुलिस बल, लेह में दें अन्यथा यह समझा जाएगा कि कार्मिक इस बल में आगे सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं तथा भा.ति.सी.पु.बल अधिनियम, 1992 एवं नियमावली, 1994 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत भा.ति.सी.पु.बल से कार्मिक की सेवाऐं समाप्त कर दी जाएगी।

Tms1 4/12

ऑफिसर कमांडिंग
5वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु.बल

सेवा में,

दल सं0 090360301 कां(जीडी) विकाश कुमार
ग्राम– बेहरा, पो0–अगरसन्डा बेहरा,
तह0–सदर आरा, जिला– भोजपुर आरा (बिहार)–802156

CBC 19112/11/0170/2425